


(भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 7 जून, 2018

अधिसूचना

सं. 39019/5/2018-स्था. (ख)- राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य श्री अरविन्द सक्सेना को संविधान के अनुच्छेद 316 खंड 1(क) के अनुसार 20 जून, 2018 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक या 07, अगस्त 2020 को सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल पूरा होने, जो भी पहले हो, तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद का कर्तव्य निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं।


(अश्विनी ठकरे)
उप सचिव

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
रिंग रोड, नई दिल्ली